HRA En USIUA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 4291

PUBLISHED BY AUTHORITY नई दिल्ली मंगलवार, फरवरी 26, 2013/फाल्गुन 7, 1934

No. 429]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2013/PHALGUNA 7, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2013

का.आ. 465(अ).— यतः केंन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खण्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 का.आ. 78 (अ), तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा उत्तरप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के 80.000 कि.मी.से 256.000 कि.मी (मध्यप्रदेश/उत्तरप्रदेश सीमा से शिवपुरी से भोगनीपुर) और 256.000 कि.मी से 281.000 कि.मी (भोगनीपुर से बराह), तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 93.000 कि.मी से 479.000 कि.मी (हरियाणा/उत्तरप्रदेश सीमा से कानपुर) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा था;

और यत:, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शित्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1939 (अ), तारीख 7 जून, 2010 द्वारा उत्तरप्रदेश राज्य में क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 और 2 के 220.000 किमी से 255.000 किमी और 421.200 किमी से 449.000 किमी (कुल लम्बाई 62.800 किमी) तक के चार लेन के खण्ड के उपयोग हेतु यात्रिक वाहनों पर, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों और दर पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था।

790 GI/2013

pr/nimohi to

(1)

और अतः,, खण्ड के विकास तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. का पुनः नामांकन किए जाने के पश्चात्, परियोजना की संशोधित चैनेज/लम्बाई निम्नप्रकार हो गयी है;

पूर्ववर्ती चैनेज	विकास के पश्चात् चैनेज	
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 पर 220.000 किमी से	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 पर 220.000	
256.000 किमी और 256.000 किमी से 281.000	किमी से 288.513 किमी तक	
किमी तक	,	

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ. 1339 (अ), तारीख 7 जून, 2010 का अधिक्रमण करते हुए, सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 68.513 किमी के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) मे विनिर्दिष्ट दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) पर चार या अधिक लेन के उपयोग हेतु नीचे सारिणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के 220.000 किमी से 288.513 किमी (उरई-बराह) खण्ड (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के उपयोग के लिए एतद् द्वारा शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्ः

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति
	कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा	1.05
मिनी बस	,
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग	3.45
उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.उ.) (चार	
से छह धुरी वाले)	
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

टिप्पणियां ;

1. तीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्निलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए निर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
काल्पी में खण्ड के पूरा होने से पहले	
किमी/चैनेज 229.913 (जालीन जिले में उसाका	66.813
गांव के पास)	
काल्पी में खण्ड के पूरा हो जाने के बाद	
किमी/चैनेज 229.913 (जालौन जिले में उसाका	68.513
गांव के पास)	

- 2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन और गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से 20 कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2012-13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रूपए (दो सौ रूपए मात्र) प्रतिमाह होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा।
- 3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जायेगा, अर्थात्ः

संदेय धनराशि	अनुनात एकतरफा	विधिमान्यता की अवधि
	यात्राओं की अधिकतम	* * **
	संख्या	
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से
	, "	चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क	पचास	संदाय की तारीख से
की रकम का दो तिहाई		एक मास

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्त के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

- 5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुजेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
 - 6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
 - 7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
 - 8. ऊपर सारणी 1 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
 - 9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 390.27 करोड़ रूपये हैं। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जिरए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक रूप से संशोधन किया जाएगा। 31.3.2012 की गई उगाही से, कुल 69.77 करोड़ रूपए की वसूली की गई।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/497/11-12/सीओ/जीसी-कानपुर(220.000-288.513)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2013

S.O. 465(E)—Whereas, vide notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 465 (E) dated the 26th April, 2002 and S.O.78 (E) dated the 4th February, 1999 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from Km 80.000 to km 256.000 (Madhya Pradesh/Uttar Pradesh Border to Shivpuri to Bhognipur) and km 256.000 to km 281.000 (Bhognipur to Barah) of National Highway No. 25 and from Km. 93.000 to Km 479.000 (Haryana/Uttar Pradesh Border to Kanpur)) of National Highway No. 2 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act 1956 (48 of 1956) read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1339 (E) dated the 7th June, 2010, authorised Authority for

levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of four-laned stretch from km 220.000 to km 255.000 and km 421.200 to km 449.000 (Total length being 62.800 km) of National Highway No. 25 and 2 respectively in the State of Uttar Pradesh at the rates and category of vehicles specified in its schedule.

And whereas, after the development of the section and re-designation of the National Highway Nos., the revised project chainage/length comes as under:

evious Chainage Chainage after development	
From km 220.000 to 256.000 & 256.000 to km	From kilometre 220.000 to kilometre 288.513
281.000 on National Highway No. 25	of National Highway No. 25

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in supersession of the notification bearing S.O. No. 1339 (E) dated the 7th June, 2010, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of Table 1 for net road section length of 68.513 km (hereinafter referred to as "base rate"), for use of the four and more lane sections on the type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the stretch from km 220.000 to km 288.513 (Orai- Barah) of National Highway No. 25 (hereinafter referred to as the "said Stretch") and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Good Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle Commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes: -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza (s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which fee is payable	
Before completion of stretch at Kalpi		
Km/ch. 229.913 (near village Usaka in Jaluan District)	66.813	
After completion of stretch at Kalpi		
Km/ch. 229.913 (near village Usaka in Jaluan District)	68.513	

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

- 4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National Permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
- 7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
- 8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
- 9. The estimated capital cost of the project is Rs. 390.27 Crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules. A total of Rs. 69.77 Crores has been recovered from the users fee realized till 31.03.2012.

[F. No. NHAI/13013/497/11-12/CO/GC -Kanpur (220.000 -288.513)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.